संख्या: 57/2021/1472352/12-2099/173/2021

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 14 सितम्बर, 2021

विषय: रबी अभियान 2021-22 की फसलोत्पादन की रणनीति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में इस वर्ष मानसून समय से आने एवं अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों की बुवाई विशेष रूप से धान की नर्सरी एवं धान की रोपाई समयान्तर्गत पूर्ण कर ली गयी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। अभी तक वर्षा सामान्य रही है, फिर भी पूर्व वर्षो के अनुभव के आधार पर विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने हेतु मौसम आधारित आकस्मिक योजना, 2021 तैयार करके समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को तद्नुरूप कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। खरीफ, 2021 में कुल बुवाई का लक्ष्य 96.03 लाख हे0 को प्राप्त करने हेतु आवश्यक निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। परिणामत: खरीफ फसलों के अन्तर्गत शत-प्रतिशत आच्छादन प्राप्त हुआ।

2. उल्लेखनीय है कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से प्रभावित हुआ है। भारत एवं उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। एक तरफ जहॉ मजदूरों की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं कृषि निवेशों की सामयिक उपलब्धता आगामी रबी हेतु सुनिश्चित कराना एक चुनौती है। आगामी रबी 2021-22 में कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु सोशल-डिस्टेन्सिंग, मास्क एवं सेनीटाइजर का प्रयोग तथा बचाव हेतु सावधानियों का प्रचार-प्रसार करते हुए आच्छादन लक्ष्यों की पूर्ति एवं निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत रबी 2021-22 हेतु निम्नवत रणनीति तैयार की गई है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- समय से बुवाई, उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष रबी में 30 नवम्बर तक 80 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूँ की बुवाई सुनिश्चित की जानी है। शेष 20 प्रतिशत क्षेत्रों में भी 10 दिसम्बर तक पूर्ण की जानी है।
- फसलों की बुवाई पंक्ति में करायी जाये। लाइन सोइंग के लिए सीड-ड्रिल अथवा जीरो टिल/मल्टीप्लान्टर का प्रयोग किया जाये।
- कृषक अब भी काफी बड़े क्षेत्र में अपना ही बीज बोते हैं। अत: कृषकों को प्रमाणित एवं अधिक उपजदायी प्रजातियों की ओर आकृष्ट करने के लिए इनकी व्यवस्था बिक्री केन्द्रों से ही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हे इन बीजों के लाभ से भी परिचित कराया जाये।
- बीज जनित रोगों के नियंत्रण हेतु बीज शोधन के लिए उन कृषकों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाए, जो स्वयं उत्पादित बीज का प्रयोग करते हैं। बीज शोधन को बढ़ावा देने के लिए बीज शोधक रसायनों एवं बीज शोधक बायोपेस्टीसाइड्स पर 75 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में बीज शोधक रसायनों एवं बायोपेस्टीसाइड्स को कृषि रक्षा इकाई, निजी विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जाये।
- भूमि पोषण अभियान के अन्तर्गत कृषकों को भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर खाद एवं उर्वरकों की संस्तुतियॉ की जानी है, जिससे उत्पादन, उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य तथा भूमि पोषण में वृद्धि के साथ-साथ लागत में कमी आ सके।
- विगत वर्षो की भॉति आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती करते हुए उनकी देख-रेख में कृषकों को उनकी कृषित भूमि/फसल हेतु निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर ही कराया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पी0ओ0एस0 से निकलने वाली पर्ची/कैश रसीद कृषकों को उर्वरक क्रय करते समय ही उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा दी जाय।
- रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था अनिवार्य रूप से बुवाई से पूर्व कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार एवं फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाए। विभिन्न कृषि निवेशों की संस्थावार मांग उपलब्धता तथा पूर्ति व्यवस्था को जनपद की कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- रबी 2021-22 में विगत वर्षो की भाँति सभी फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुमन्य अनुदान की धनराशि लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी। डी0बी0टी0 व्यवस्था को सफल बनाने हेतु निर्धारित बीज वितरक संस्थाओं को भी निर्देशित किया जाये तथा इसका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाये।
- केन्द्र पोषित नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयॅल-सीड्स) योजनान्तर्गत रबी तिलहनी फसलों की अधिक उपज देने वाली 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रमाणित बीज की प्रजातियों पर रू. 4000.00 प्रति कुं0 संकर राई/सरसों के 10 वर्ष तक की अधिसूचित संकर प्रजातियों के बीजों पर रू. 8000.00 प्रति कुं. की दर से अनुदान देय है।
- गेहूँ की 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रू. 600/- प्रति कुं. एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रू. 300/- प्रति कुं. अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत ही देय होगा।
- जौ फसल में केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रू. 3000/- प्रति कुं. एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर रू. 1500/- प्रति कुं. का अनुदान देय है।
- चना, मटर एवं मूसर में 10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रू. 2000/- प्रति कुं. एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों पर रू. 1000/- प्रति कुं. का अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार से देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत ही देय होगा।
- तोरिया, राई-सरसों एवं अलसी में 15 वर्ष तक की अवधि की प्रजातियों पर राज्य सरकार द्वारा रू. 1500/- प्रति कुं. अनुदान देय है। केन्द्रीय अनुदान एवं राज्य सरकार के देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही देय होगा।
- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरित बीज तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत की सीमा तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य किया गया है।
- कृषकों को सुगमता-पूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 में 25.00 लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड एवं 34.79 लाख किसान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसे ससमय पूरा किया जाये।

- फसलों अवशेषों को खेतों में जलाने से रोकने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाये, इसके लिए इन-सीटू योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये यंत्र यथा-हैप्पी सीडर, जीरो टिल-सीड ड्रिल, मल्चर, सुपर एस0एम0एस0 वेलर आदि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।
- तराई के जनपदों में गेहूँ की येलो रस्ट की रोकथाम के लिए उपयुक्त रसायन 'प्रोपिकोनालोज' की व्यवस्था की जाय। इसका क्षेत्रों में सर्वेक्षण करते हुए बीमारी का प्रकोप होते ही रोकथाम हेतु इसका तत्काल उपयोग कराना आवश्यक होगा।
- बाढ़ प्रभावित जनपदों में परिस्थिति अनुकूल फसलों के आच्छादन में वृद्धि की जाय।
- मृदा में गिरते उर्वरा स्तर के दृष्टिगत फसल चक्र में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बुवाई हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय।
- स्प्रिंकलर/ड्रिप/एच0डी0पी0ई0 पाइप आदि से सिंचाई करने हेतु कृषक के मध्य प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। जल संरक्षण हेतु कृषकों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
- फसल सघनता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषकों को वर्ष में 02 या 03 फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। खरीफ के बाद खाली पड़े खेतों को चिन्हित कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी में विभिन्न फसल उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- कृषकों को प्रमाणित एवं अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के प्रति प्रोत्साहित किया जाय और इसके लिए बीज बिक्री की उचित व्यवस्था करायी जाय।
- मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण के प्रयोग को सम्पूर्ण प्रदेश में बढ़ावा दिया जाय। हरी खाद, गोबर की खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाय।
- कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया जाय। इससे श्रम, धन व समय की बचत होगी।
- बीज उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय। इस हेतु कृषि विभाग की बीज ग्राम योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जाय।
- कृषि विविधीकरण एवं एकीकृत खेती प्रणाली (आईएफएस) पर बल दिया जाय। इसमें कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मौन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पालन, भेड़ पालन, रेशम पालन आदि किए जाने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाय।

3. प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय-सारिणी के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराकर इनका वितरण, विद्युत आपूर्ति, डीजल की उपलब्धता/नलकूप/नहर द्वारा सिंचाई व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा कर समस्याओं का निराकरण अपने स्तर अथवा अपेक्षित स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी अवश्य पहुँचे।

4. उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि हेतु रबी के फसलोत्पादन की विस्तृत रणनीति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रयास किया जाय कि उक्त योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को सके।

5. मुझे पूर्ण विश्वास है कि रबी अभियान 2021-22 हेतु अपने मण्डल/जनपद की भू-जलवायुविक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर विशेष रणनीति तैयार कराते हुए कृषि उत्पादन में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु अपना सक्रिय योगदान देकर रबी अभियान 2021-22 को पूर्णत: सफल बनायेंगे।

संलग्न:-

1. विस्तृत रणनीति।
2. कृषि निवेशों की व्यवस्था।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिन्दु।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या:57/2021/1472352/12-2099/173/2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/ वन/सिंचाई/ राजस्व/गन्ना /सहकारिता/ऊर्जा/संस्थागत वित्त/भूमि एवं जल संसाधन/पशुधन/मत्स्य/ग्राम्य विकास/पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, लखनऊ,
5. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्य उद्यान संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ,
6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ,
7. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर,
8. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, छलेसर, आगरा,
9. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगंध पौध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ,
10. कुलपति, सैम हिग्गनबाटम कृषि, प्रौद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय,नैनी, प्रयागराज,
11. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज, (अयोध्या),
12. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ,
13. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा,
14. कुलपति, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी,
15. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
16. आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
17. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ,
18. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ,
19. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
20. निदेशक, मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ,
21. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
22. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
23. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ,
24. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, लखनऊ,
25. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
26. मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
27. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
28. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ,
29. मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व/पश्चिम), विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश,
30. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा,
31. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
32. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
33. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
34. निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
35. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ,
36. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी,
37. निदेशक, भारतीय चारागार एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी,
38. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ,
39. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ,
40. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
41. प्रबंध निदेशक, कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ,
42. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

43. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमती नगर, लखनऊ,
44. प्रबंध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
45. प्रशासक, शारदा सहायक, राम गंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
46. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी,
47. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, लखनऊ,
48. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी औद्यानिक समिति, लखनऊ,
49. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ, लखनऊ,
50. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्र0 कारपोरेशन लि0, लखनऊ,
51. निदेशक, वाल्मी, सिंचाई विभाग, उतरेटिया, लखनऊ
52.. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।